निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 वैशाख 1933 (श0)

(सं0 पटना 168) पटना, बुधवार, 4 मई 2011

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

01 अप्रील 2011

सं0 सं0का0–1/वि0मं0 (सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)–05–02/2011–595—बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0–16, 2006) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) नियमावली, 2006 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2011

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ। – (1) यह नियमावली बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2011 कही जा सकेगी।

(2) यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2006 के नियम– 3(ख) में संशोधन। – नियम 3(ख) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक एवं शब्द "8000/– रू0" अंक, शब्द एवं कोष्ठक "25000/– (पचीस हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

3. उक्त नियमावली, 2006 के नियम–4 में संशोधन। – नियम 4 की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "12000/– (बारह हजार) रूपये" अंक शब्द एवं कोष्ठक "25000/–(पचीस हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

4. उक्त नियमावली, 2006 के नियम–5 में संशोधन। – नियम 5 की तीसरी पक्ति में प्रयुक्त शब्द "छह लाख रूपये" अंक, शब्द एवं कोष्ठक "8,00,000/– (आठ लाख) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

5. उक्त नियमावली, 2006 के नियम–6 में संशोधन। – नियम 6 की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "2000/– (दो हजार) रूपये" अंक, शब्द एवं कोष्ठक "5000/–(पाँच हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

6. उक्त नियमावली, 2006 के नियम–7 में संशोधन। – नियम 7 की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक "10000/– (दस हजार) रूपये" अंक, शब्द एवं कोष्ठक "15000/– (पन्द्रह हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

7. उक्त नियमावली, 2006 के नियम–8(क) में संशोधन। – नियम 8(क) की पाँचवीं पंक्ति में प्रयुक्त अंक "10/–" रूपये अंक, शब्द एवं कोष्ठक "15/–(पन्द्रह) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

8. उक्त नियमावली, 2006 के नियम–9(1) में संशोधन। – नियम 9 की कंडिका (1) की दूसरी एवं तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक एवं शब्द "500/– रू०" अंक, शब्द एवं कोष्ठक "1000/–(एक हजार) रूपये" द्वारा एवं चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक एवं शब्द "1000/– रू०" अंक, शब्द एवं कोष्ठक "2000/–(दो हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

9. उक्त नियमावली, 2006 के नियम–16 में संशोधन। – नियम 16 की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक एवं शब्द "रू० 25000/–" अंक, शब्द कोष्ठक "50000/– (पचास हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

10. उक्त नियमावली, 2006 के नियम–17(1) में संशोधन। – नियम 17(1) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक एवं शब्द "6000/– रूपये" अंक, शब्द एवं कोष्ठक "15000/– (पन्द्रह हजार) रूपये" द्वारा एवं पंक्ति छः में प्रयुक्त अंक "500/–" अंक, शब्द एवं कोष्ठक "1000/– (एक हजार) रूपये" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
नवनीत रंजन तिवारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 168-571+1000-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in